उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 9855/यू.पी.–रेरा/तक0सेल0/2022–23 दिनांकः 27 अगस्त, 2022

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपाध्यक्ष, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा, ईडा लीडा डीडा। 2. अध्यक्ष/महामंत्री, क्रेडाई उत्तर प्रदेश/पश्चिमि उत्तर प्रदेश 3. नरेडको/महामंत्री, उत्तर प्रदेश।	उ.प्र. रेरा में रजिस्टर्ड समस्त परियोजनाओं के प्रोमोटर

विषयः मा0 अध्यक्ष उ.प्र. रेरा की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2022 को अपरान्ह् 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य प्रोमोटर संघो तथा प्रोमोटर से उनकी परियोजनाओं तथा रियल इस्टेट सेक्टर से सम्बन्धित विषयों/मुद्दों पर संवाद के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि मा0 अध्यक्ष उ.प्र. रेरा की अध्यक्षता दिनांक 13.09.2022 को अपरान्ह् 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के प्रोमोटर्स तथा क्रेडाई एवं नरेडको के पद्धाधिकारियों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श तथा समाधान हेतु वर्चुअल संवाद आयोजित किया गया है।

1. उ.प्र. रेरा में पंजीकृत प्रोमोटर्स की पंजीकृत परियोजनाओं से सम्बन्धित लम्बित प्रकरण।
2. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/विकास प्राधिकरणों/अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रोमोटर्स की परियोजनाओं के सम्बन्ध में लम्बित प्रकरण।
3. उ.प्र. में रियल इस्टेट सेक्टर में विकास तथा पंजीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराने के सम्बन्ध में ठोस सुझाव।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर लम्बित प्रकरण का विवरण/बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रोमोटर के डैश बोर्ड पर या उ.प्र. रेरा की ऑफिसियल ई–मेल आई0डी0 contactuprera@up-rera.in पर दिनांक 08.09.2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संवाद में आपके प्रतिभागिता को सुगम बनाने हेतु विडियों–कॉन्फ्रेन्सिंग लिंक प्रोमोटर संघो की ई–मेल आई.डी. तथा प्रोमोटर्स की उ.प्र. रेरा में रजिस्टर्ड ई–मेल आई.डी. पर संवाद से 03 दिन पूर्व अलग से प्रेषित किया जायेगा।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मा0 अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
(2) मा0 सदस्या, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
(3) प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।